



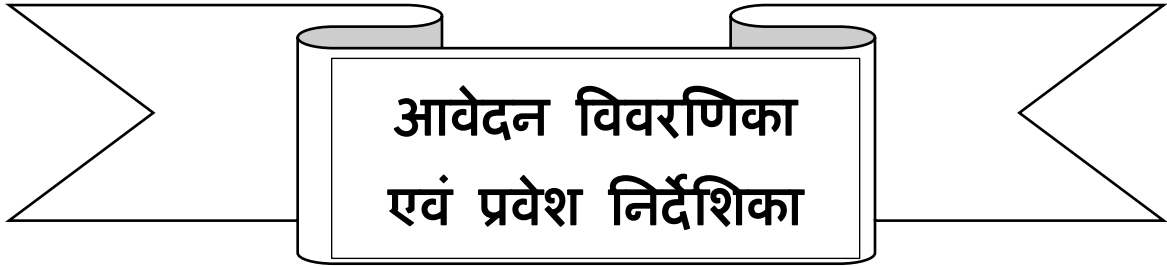
शिक्षा संकाय

## Faculty of Education

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर (उ०प्र०)  
Siddharth University, Kapilvastu, Siddharth Nagar (U.P.)

एम०एड० प्रवेश

**M.Ed. Admission**



ऑनलाइन आवेदन शुल्क

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| अ) सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग        | : 1500/- |
| ब) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग | : 1000/- |

# **M.Ed. Admission**

## **Eligibility at a Glance**

- Eligibility: Minimum aggregated 55% marks or equivalent grade is required in any one of the following examinations for the applicants.
  - B.Ed.
  - LT
  - B.A., B.Ed.
  - B.Sc., B.Ed.
  - B.El.Ed.
  - Graduation + D.Ed.

This minimum percentage will be relaxed by 5% in case of OBC, SC, ST and Divyang Student reservation applicants.

- Admission according to merit:

Candidates shall be admitted strictly order of merit on the basis of percentage of marks obtained in the B.Ed. or its equivalent other recognized examinations. Full marks obtained in the theory and fifty per cent marks obtained in the practical examination shall be considered in calculating the percentage.

Illustration: If a candidate has secured 240 marks out of 500 in the theory and 140 marks out of 200 in the practical examination then for the sake of calculation, the full marks obtained by him will be  $240 + (140/2 \text{ or } 70) = 310$  and his percentage will be  $44.28 \text{ } (310 \times 100) / 700$ .

- Candidates appearing in qualifying courses are allowed to appear in M.Ed. Admission Test.
- Unlimited gap is allowed between qualifying examination and attempt for M.Ed.

## M.Ed. Admission

### एम.एड. प्रवेश

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की अवधि | : 15 सितम्बर 2026 तक                                              |
| प्रवेश परीक्षा की तिथि         | : 28 सितम्बर 2026 (यदि आवश्यक हुई तब)                             |
| परीक्षा केंद्र                 | : कला संकाय भवन, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर |

#### आवश्यक निर्देश :

1. ऑन-लाइन आवेदन करने की अवधि: 05 सितम्बर, 2026 से 15 सितम्बर, 2026 है।
2. आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.suksn.edu.in](http://www.suksn.edu.in) पर भरना होगा।
3. ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ही आवेदन भरा जायेगा।
4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र का reference number, email ID, मोबाइल नम्बर एवं downloaded आवेदनपत्र अपने पास भविष्य में संदर्भ हेतु सुरक्षित रखें।
5. अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज प्रमाण-पत्र यथा दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि) प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय मूल प्रमाण-पत्र से सत्यापित किये जायेंगे।
6. अभ्यर्थी केवल एक ही प्रकार के शैक्षिक अर्हता वर्ग की परीक्षा के आधार पर आवेदन कर सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक अर्हता का चयन किया है तो विश्वविद्यालय अपने विवेक द्वारा एक को छोड़कर शेष को निरस्त करने का अधिकार रखता है।
7. यदि किसी अभ्यर्थी ने जालसाजी कर अथवा अवैध तरीके से फर्जी प्रमाण-पत्र देकर किसी सुविधा को प्राप्त करने का प्रयास किया या लाभ ले लिया, विश्वविद्यालय को उसके आवेदन पत्र, परीक्षा या प्रवेश को निरस्त करने एवं उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही करने का पूरा अधिकार होगा।
8. अभ्यर्थी द्वारा आवेदनपत्र पूरित करते समय आरक्षण के अन्तर्गत अपने वर्ग का चयन ध्यानपूर्वक करना होगा। एक बार चयन करने के पश्चात किसी भी दशा में उसमें परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा।
9. विश्वविद्यालय द्वारा घोषित प्रवेश परीक्षा का परिणाम अंतिम होगा। पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।
10. विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये किसी भी आवेदक को प्रवेश न दे और किसी भी समय प्रवेश के नियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सके।

#### प्रवेश हेतु अर्हता :

1. एम.एड. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वही अभ्यर्थी अर्ह है, जिन्होंने विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष संस्था से बी.एड./समकक्ष उपाधि में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में संयुक्त रूप से औसत पचपन प्रतिशत (55%) अंक प्राप्त किये हों।  
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों के लिए बी.एड./समकक्ष उपाधि में न्यूनतम पचास प्रतिशत (50%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।  
उपयुक्त निर्धारित अर्हता का प्रमाण देना आवश्यक होगा, अन्यथा अभ्यर्थी प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे।
2. वे अभ्यर्थी जो वर्तमान परीक्षा सत्र में बी.एड./समकक्ष में सम्मिलित हो रहे हैं, वे आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे, किन्तु काउंसिलिंग की तिथि को यदि वे बी.एड./समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का अंकपत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

नोट: पुनश्च, अभ्यर्थी अपनी अर्हता सुनिश्चित कर ही आवेदन पत्र भरें एवं प्रवेश परीक्षा में बैठें। अर्हता पूर्ण न होने की किसी भी स्थिति में प्रवेश परीक्षा में सफल होने अथवा प्रवेश होने पर भी उसे निरस्त कर दिया जायेगा।

अधिभार:-

निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी को काउन्सलिंग के समय ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करने पर जैसा कि विश्वविद्यालय निर्दिष्ट करे, प्रत्येक के सम्मुख अंकित अधिभार अंक आवंटित किये जायेंगे। किन्तु कुल अधिभार अंकों का योग 25 अंक से अधिक नहीं होगा -

(अ)

|   |                                                                  |        |
|---|------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | व्यक्तिगत आइटम में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करने पर   | 15 अंक |
|   | व्यक्तिगत आइटम में अभ्यर्थी द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर | 10 अंक |
|   | व्यक्तिगत आइटम में अभ्यर्थी द्वारा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर   | 05 अंक |

अथवा

|   |                                                          |        |
|---|----------------------------------------------------------|--------|
| 2 | टीम आइटम में सर्व विजेता (चैम्पियन टीम) का सदस्य होने पर | 15 अंक |
|   | सर्व उपविजेता (रनर्स-अप) टीम का सदस्य होने पर            | 10 अंक |
|   | प्रतिभागी टीम का सदस्य होने                              | 05 अंक |

अथवा

|   |                                                                                                                                                                                          |        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3 | किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालयी टूर्नामेन्ट या क्रीडा या खेलकूद प्रतियोगिता में सर्व विजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर / व्यक्तिगत आइटम में प्रथम स्थान पाने पर | 10 अंक |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

आलोक

- उपर्युक्त मद सं० 1, 2 एवं 3 के अन्तर्गत आइटम्स में से केवल एक ही आइटम का लाभ देय होगा अर्थात् यदि किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आइटम में भाग लिया है तो उसे एक ही टीम/आइटम का लाभ देय होगा।
- राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के संदर्भ में शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- अन्तर विश्वविद्यालय एवं अन्तर महाविद्यालयी प्रतियोगिता के संदर्भ में शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत या मेजबान विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा हस्ताक्षरित/निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ब)

|   |                                                                                                                  |        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | नेशनल कैडेट कोर में "सी" प्रमाणपत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी अथवा "जी-2" प्रमाण-पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को | 15 अंक |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

अथवा

|   |                                                                                                                  |        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2 | नेशनल कैडेट कोर में "बी" प्रमाणपत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी अथवा "जी-1" प्रमाण-पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को | 10 अंक |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

अथवा

|   |                                                                                                                 |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3 | राष्ट्रीय सेवायोजना के अन्तर्गत 240 घंटे की सेवा एवं दो या दो से अधिक विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को | 15 अंक |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

अथवा

|   |                                                                                                   |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4 | राष्ट्रीय सेवायोजना के अन्तर्गत 240 घंटे की सेवा एवं एक विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को | 10 अंक |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

अथवा

|   |                                                                        |        |
|---|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5 | राष्ट्रीय सेवायोजना के अन्तर्गत 240 घंटे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को | 05 अंक |
|---|------------------------------------------------------------------------|--------|

अथवा

|   |                                                                                           |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6 | स्काउट एवं गाईड की राष्ट्रीय या रोवर्स/रेंजर्स का राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को | 15 अंक |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

अथवा

|   |                                                                                                 |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7 | स्काउट एवं गाईड का राज्यपाल पुरस्कार या रोवर्स/रेंजर्स का निपुण प्रमाण-पत्र प्राप्त अभ्यर्थी को | 10 अंक |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

अथवा

|   |                                                                                                                      |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 8 | स्काउट एवं स्काउट एवं गाईड गुरुपद / तृतीय सोपान प्रशिक्षण या रोवर्स/रैजर्स का प्रवीण प्रमाण-पत्र प्राप्त अभ्यर्थी को | 10 अंक |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

### आलोक

- ऊपर वर्णित 'ब' के अन्तर्गत मदों में केवल एक ही मद का लाभ देय होगा।
- नेशनल कैडेट कोर का प्रमाण-पत्र केवल सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित ही मान्य होगा।
- राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त एवं कुलपति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगा।

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| स) | ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं सक्रिय सेवारत शासकीय प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे सेवारत या विसैन्यीकृत या अपंग या लापता या मृतशासकीय प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र, अविवाहित पुत्री, पति, पत्नी के रूप में सम्बन्धित हों                                                                                                                                                                                                                        | 15 अंक |
| द) | ऐसे अभ्यर्थी जो पुलिस या पी०ए०सी० या बी०एस०एफ० या आई०टी०बी०पी० या सी०आर०पी०एफ० या होमगार्ड में सेवारत हों या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या अविवाहित पुत्री के रूप में सम्बन्धित हों, जो कार्यरत या सेवानिवृत्ति या अपंग या सेवारत रहते हुए मृत हो गये हों। (होमगार्ड के प्रमाण-पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से प्रति हस्ताक्षरित होने पर एवं शेष के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।) | 15 अंक |
| य) | ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्ता हो। कानूनी प्रमाण-पत्र दाखिल करना होगा जो कि आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व की तिथि का होना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 अंक |

### आलोक

- किसी भी दशा में प्रवेश के समय अस्थाई (प्राविजनल) प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- अधिप्रतिनिधित्व से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों की सत्यता की जाँच शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्रों के साथ काउन्सलिंग के समय की जायेगी। उचित प्रमाण-पत्र के अभाव में अधिप्रतिनिधित्व देय नहीं होगा।
- अधिभार से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, आवेदन की अन्तिम तिथि अथवा इससे पूर्व की तिथि में निर्गत होने की ही दशा में स्वीकार्य होंगे।

### आरक्षण

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में अद्यतन प्रवेश अधिसूचना के अनुसार उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण निम्नवत् होगा:-

#### (अ) उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical)

|   |                                                                  |            |
|---|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | अनुसूचित जाति                                                    | 21 प्रतिशत |
| 2 | अनुसूचित जनजाति                                                  | 02 प्रतिशत |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्ग (इसके लिए क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी अर्ह नहीं हैं) | 27 प्रतिशत |
| 4 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)                                   | 10 प्रतिशत |

नोट :- अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से सीटें भर दी जायेंगी।

#### (ब) क्षैतिज आरक्षण (Horizontal)

|    |                                                                                                                                                    |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| क) | स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए                                                                                                    | 02 प्रतिशत |
| ख) | उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग अथवा युद्ध में मारे गये अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात जल, थल एवं वायु सेनाओं के कर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को | 05 प्रतिशत |
| ग) | दिव्यांगजनों                                                                                                                                       | 05 प्रतिशत |
| घ) | महिलाओं के लिए                                                                                                                                     | 20 प्रतिशत |

नीचे दी गई तालिका में प्रमाण-पत्र के सम्मुख अंकित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा जो जाँच हेतु प्रवेश/काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।

|    | प्रमाण-पत्र                                                       | सक्षम अधिकारी                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| अ) | जाति प्रमाण-पत्र-(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) | जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/तहसीलदार/मजिस्ट्रेट |
| ब) | दिव्यांग प्रमाण-पत्र                                              | मुख्य चिकित्साधिकारी                          |
| स) | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण-पत्र                      | जिलाधिकारी                                    |
| द) | प्रतिरक्षा प्रमाण-पत्र                                            | जिला सैनिक कल्याण अधिकारी                     |

- केवल उत्तर प्रदेश में स्थाई रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय का लाभ अनुमन्य होगा। आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण-पत्र अभ्यर्थियों के पिता के नाम के साथ ही होने पर मान्य होगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि उनके प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत क्रीमीलेयर में न होने का स्पष्ट उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया हो। यह प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के पिता की जाति के अनुसार निर्गत हुआ ही मान्य होगा।
- दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत प्रवेश वि०वि० द्वारा गठित चिकित्सा समिति की संस्तुति पर ही किया जायेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि वह हकलाता नहीं है, और कान, आँख या किसी अन्य बीमारी के होने के कारण अध्यापक होने के लिए अयोग्य नहीं है।
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थी का सम्बन्ध माननीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया गया हो। (मेमो अंकित पत्रांक संख्या वाले प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं होंगे)।
- दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षण सामान्य एवं आरक्षित वर्गों में आनुपातिक रूप से किया जायेगा। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता पर उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी का चयन होगा। जहाँ दिव्यांग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे, वे रिक्त स्थान सम्बन्धित वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे।
- आरक्षण प्राप्त करने हेतु उचित प्रमाण-पत्र के अभाव में या सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत न होने की स्थिति में या अपूर्ण होने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा और अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की श्रेणी में माना जायेगा।
- शासन के पत्र संख्या 1483/सतर-2-2010-3(58)/79 दिनांक 15 जुलाई, 2010 में प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार महिलाओं के लिए समस्त प्रवेश सीटों का न्यूनतम 20 प्रतिशत होगा। यदि कोई महिला किसी प्रवेश सीट पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति नहीं की जायेगी, बल्कि सामान्य श्रेणी में की जायेगी। क्षैतिज प्रकृति के आरक्षण के भीतर भी महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण होगा।
- स्वचिंतपोषित महाविद्यालयों में प्रवेश में उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, संख्या 1191/70-2-2010(58)/79 दिनांक 11 जून, 2010 के अधिसूचना आदेश के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी।
- अन्य प्रान्तों के अभ्यर्थियों को कुल निर्धारित सीटों के सापेक्ष सामान्य सीट के लिये निर्धारित 50 प्रतिशत सीट के अन्तर्गत अधिकतम 5 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश अन्य प्रान्तों के उन अभ्यर्थियों का किया जायेगा, जो सामान्य वर्ग की मेरिट सूची के वरीयता क्रम में आयेंगे। एम०एड० प्रवेश में अन्य शर्तें पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही लागू रहेगी। प्रवेश के लिये अन्य प्रान्त के अन्तर्गत वे ही अभ्यर्थी आयेंगे, जो अन्य प्रान्त के रहने वाले हों एवं उनकी बी०एड०/समकक्ष डिग्री भी अन्य प्रान्त की हो।

10. एम०एड० हेतु कुल निर्धारित स्थान (सीट) के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा बी०एड० प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की सैद्धान्तिक परीक्षा के अनिवार्य प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंक के आधार पर निर्मित मेरिट के अनुसार विश्वविद्यालय में काउंसिलिंग के उपरान्त प्रवेश दिया जायेगा।
11. एम०एड० में प्रवेश हेतु ऑन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे। महाविद्यालयों को सीधा प्रवेश लेने की अनुमति नहीं है।

### **परीक्षा केन्द्र**

**कला संकाय भवन, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर केन्द्र पर होगी।**

### **पाठ्यक्रम**

1. प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा। अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्नपत्र में 100 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र का समय दो घण्टा निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे जिनमें सही उत्तर का चुनाव कर उत्तरपत्र में उस प्रश्न संख्या के सामने बने विकल्पों के गोलों में से अभ्यर्थी द्वारा चयनित विकल्प काले बालपेन से भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक देय होगा एवं गलत उत्तर के लिए 2/3 अंक की कटौती होगी।
2. प्रथम प्रश्नपत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा सहित सामान्य ज्ञान का होगा। भाषा के अन्तर्गत शब्दज्ञान, व्याकरण, अभिव्यक्ति एवं ग्राह्यता की परीक्षा होगी।
3. द्वितीय प्रश्नपत्र सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के द्विवर्षीय बी०एड० पाठ्यक्रम के अनिवार्य प्रश्नपत्रों पर आधारित होगा।
4. हिन्दी एवं अंग्रेजी विषयों को छोड़कर शेष सभी प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे।

### **सीटों की उपलब्धता**

| संस्थान का नाम                                                                   | सीटों की संख्या | प्रकृति        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| स्वर्ण प्रभा पी०जी० कालेज, आनन्दनगर, महाराजगंज।                                  | 50 सीट          | स्ववित्त पोषित |
| पं० अम्बिका प्रताप नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डुमरी, हरिहरपुर, संतकबीर नगर। | 50 सीट          | स्ववित्त पोषित |
| प्रभा देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खलीलाबाद, संतकबीर नगर।                       | 50 सीट          | स्ववित्त पोषित |
| शिवशंकर चतुर्वेदी महाविद्यालय टूंगपार, संतकबीर नगर।                              | 50 सीट          | स्ववित्त पोषित |
| जवाहर लाल नेहरू स्मारक पी०जी० कालेज, महाराजगंज।                                  | 50 सीट          | स्ववित्त पोषित |